

NOC

प्रधान

आयुक्त,
मुरादाबाद मण्डल
मुरादाबाद।

सेवा में

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्
शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, पीत विहार,
नई दिल्ली।

संख्या 1323 /27-59 (2008-09) जे०८०

विषय :- सेन्ट पॉलस एकेडमी शाहबाद, रामपुर को सी०वी०एस०इ० नई दिल्ली से रामद्वाता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय

उपर्युक्त दिया की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि सेन्ट पॉलस एकेडमी शाहबाद, रामपुर विद्यालय को सी०वी०एस०इ० नई दिल्ली से रामद्वाता हेतु अनापति प्रमाण पत्र दिये जाने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतीकाओं के अधीन अनापति नहीं है -

- 1- विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रकृत्य समिति में शिक्षा नियेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुयुक्ति जाति/जनजाति के भेदावासी वर्षों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ०प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/प्रैरिक शिक्षा परिषद् द्वारा सचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- सरथा द्वारा राज्य सरकार से इन्हीं अनुदान की मौग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की तर्फद्वाता सेट्ट बोर्ड आफ सेकेंडरी एज्यूकेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिषद् परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ०प्र० माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- सरथा के शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य वेतनमानों तथा अन्य गतियों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनाई जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों का अनुमत्य रोता नियुक्ति का तात्पुरता उपलब्ध कराये जायेंगे।
- 7- राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्धारित प्रपत्र पजिकों में रखा जायेगा।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पजिकों में रखा जायेगा।
- 9- राज्य सरकार एवं सी०वी०एस०इ०, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित गानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थाएँ सुविधाओं की उपलब्धता, सम्बद्धता से पूर्व सरथा द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
- 10- उक्त विद्यालय का सचालन अनापति प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत भू-अग्रिलेटों में उत्तिलिखित ग्राम मिलक काजी, परगना य तहसील शाहबाद, जिला रामपुर शिथ गाठा संख्या 6/2 क्षेत्रफल 0.3560ह०, गाठा संख्या 9/2 क्षेत्रफल 0.2060ह०, गाठा संख्या 8/2 क्षेत्रफल 0.3460ह० गाठा संख्या 12/2 क्षेत्रफल 0.7130ह० एवं गाठा संख्या 7/2 क्षेत्रफल 0.3560ह० इस प्रकार कुल 05 किलो क्षेत्रफल 1.9790ह० (विक्रय पत्र के आधार पर) में निर्धारित भवन व भूमि पर ही किया जायेगा, भूमि का प्रतोग अन्य किसी प्रयोजन हेतु करने तथा विद्यालय को अन्यत्र सचालित करने पर यह अनापति स्वतः समझी जायेगी।
- 11- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतीकाओं का पालन करना सरथा के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि सरथा द्वारा उक्त अनापति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(शिव शक्ति सिंह)

आयुक्त।

संख्या एवं दिनांक : उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
- 2- शिक्षा नियेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- निरीक्षक आग्ल भारतीय विद्यालय उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- जिलाधिकारी रामपुर।
- 5- रायुक्त शिक्षा नियेशक, द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 6- जिला विद्यालय निरीक्षक, रामपुर।
- 7- अधिकारी, सेन्ट पॉलस एकेडमी शाहबाद, रामपुर।

